कार्यालय जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी, मैनपुरी।

विज्ञप्ति संख्याः– 1953 /व्यवस्थापन/2022–23/दिनांकःजनवरी 06, 2022

विज्ञप्ति

वित्तीय वर्ष 2022–23 की आबकारी नीति विषयक शासनादेश संख्या–01/2022/01 ई–2/तेरह–2022–01/2020–1419282 दिनांक 01.01.2022 एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–19938/दस–लाइसेंस–367/सुझाव आबकारी नीति/2022–23 दिनांकः 02.01.2022 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद मैनपुरी में वर्ष 2022–23 हेतु देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माडलशॉप एवं भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन दिनांक 09.01.2022 से प्रारम्भ होगा। सर्वप्रथम वर्ष 2021–22 में व्यवस्थित एवं नवीनीकरण के लिए अर्ह पायी गयी दुकानों के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र दिनांक 09.01.2022(को प्रातः 10:00 बजे) से दिनांक 21.01.2022(सायं 5:00 बजे) तक ई–लाटरी पोर्टल **www.upexciseelottery.gov.in** पर ऑनलाइन आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाइन नवीनीकरण के पश्चात् जनपद की अवशेष मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन ई–लाटरी के माध्यम से द्वितीय चरण में दिनांक 12.03.2022(मध्यान्ह 12:00 बजे) से किया जायेगा।

जनपद में मदिरा एवं भांग की फुटकर बिक्री की दुकानों का नवीनीकरण एवं अवशेष दुकानों को ई–लाटरी के माध्यम से प्राप्त करने हेतु इच्छुक एवं अर्ह आवेदक जनपद की दुकानों की सूची, अन्य आवश्यक विवरण एवं शर्तें जनपद की वेबसाइट **www.mainpuri.nic.in**,विभागीय वेबसाइट **www.oldupexcise.in** तथा ई–लाटरी पोर्टल **www.upexciseelottery.gov.in** पर देखी जा सकती है।

(दिनेश कुमार)
जिला आबकारी अधिकारी,
मैनपुरी।

(अविनाश कृष्ण सिंह)
जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी,
मैनपुरी।

विज्ञप्ति संख्या :–1954-55 व्यवस्थापन/2022–23/तद्दिनांकित ।

प्रतिलिपिः– 1– सम्पादक हिन्दुस्तान/दैनिक जागरण, मैनपुरी को इस अनुरोध के साथ कि विज्ञप्ति सःशुल्क न्यूनतम् स्थान में अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा बिल जिला सूचना अधिकारी, मैनपुरी से प्रमाणित कराकर भुगतान हेतु प्रस्तुत करें ।

2– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मैनपुरी को उक्त वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

(दिनेश कुमार)
जिला आबकारी अधिकारी,
मैनपुरी।

Scanned with CamScanner